

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभा

दिनांक	फर्द अहकाम
23.11.20	<p>वादी वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी... पत्रावली गतानुसार दिनांक... को पेश हो।</p>
4.1.21	<p>वक्तुताय उपो/प्रतिवादी वकील ने आगाभी सुनवाई तिथी को प्रतिवादी साक्ष्य पेश करने का कथन का (कमरे) पाठा/प्रतिवादी साक्ष्य पेश करने एक मौखिक रिपोर्ट के साथ रिफा जाता है प्रतिवादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 22.1.21 को पेश हो।</p>
22.1.21	<p>वकील उमयपक्ष उपो/प्रतिवादी साक्ष्य पेश करने पुनः समय-बोले पा न्यायहित में एक अंतिम मौखिक रिपोर्ट जाता है प्रतिवादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 15.2.21 को पेश हो।</p>
15.2.21	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील एवं प्रतिवादी वकील काउन्सिल क्लेम कर्ता उपस्थित नहीं है किसी आवाज-दिलाई गई। फिर भी वादी एवं वादी वकील तथा प्रतिवादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण में से कोई भी उपस्थित नहीं है अतः यह दावा एवं प्रतिदावा अदम हाजिरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p>